संख्या- **323**/2025/726/41-1-2025/001-CN-1908531-2025

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: **28** मार्च, 2025

विषय:-जनपद चित्रकूट में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व के सन्निकट पर्यटन भूमि का ईको पर्यटन विकास कार्यकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश के पत्र सं0-10294/ईको-टूरिज्म/2024-25, दिनांक 03 मार्च, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 1398.64लाख के प्रस्ताव को प्रेषित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में मद संख्या-10-ईको टूरिज्म का विकास अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि में से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चित्रकूट में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व के सन्निकट पर्यटन भूमि का ईको पर्यटन विकास कार्य हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित धनराशि रू0 1367.89 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 650.00 लाख (रू0 छः करोड़ पचास लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत प्रायोजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय/आवंटन करने से पूर्व महानिदेशक कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजनान्तर्गत संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित भूमि पर प्रभाग की कार्ययोजना/प्रबन्ध योजना के प्राविधानों के अनुरूप परियोजना निरूपित की जायेगी।

(3) प्रायोजनान्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों (protected area) हेतु केस टू केस आधार पर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक तथा अन्य आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्रों हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक का अनुमोदन प्राप्त कर ही निर्णय लिया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2017/1067/78-2-2017-42आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यय टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(7) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्थाद्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था का होगा। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व पर्यटन निदेशालय का होगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतानके अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध नही करायी जायेगी।

(14) प्रश्नगत प्रायोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा प्रायोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-प्रायोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(15) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय**,** जिससे कि टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए प्रायोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(16) प्रायोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि प्रायोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(18) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA)से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) प्रायोजना का विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) में दरें उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (भवन), गठन लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0-272 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-294 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के अनुसार एवं कतिपय कार्यमद वर्तमान बाजार भव की दरों के विश्लेषण के अनुसार ली गयीं है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्यमदें जो डी0एस0आर0 में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हे बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भी पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोन प्राप्त किया जायेगा।

(21) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(22) प्रायोजनान्तर्गत सी0सी0टी0वी0 एवं सोलर सिस्टम की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करेंगे। पर्यटन निदेशालय द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमें के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) प्रायोजनान्तर्गत SCULPTUREका प्रावधान किया गया है। SCULPTUREका क्रय/स्थापना इत्यादि सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत नगर विकास विभाग के बजट प्रावधान से संस्कृति विभाग के माध्यम से कराया जाना पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। पर्यटन निदेशालय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत तथा जी0एस0टी0 का भुगतान करने से पूर्व प्रायोजना में उपयोग की गयी सामग्री यथा सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए भुगतान किया जायेगा।

(25) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021/ फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

standards for universal accessibility in india, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं एवं उच्च विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(27) प्रायोजनान्तर्गत आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तद्नुसार प्रस्ताावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(28) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कतिपय कार्य कोटेशन/बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित की गई हैं। निर्माणके समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(29) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्य हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े।

(30) प्रायोजनान्तर्गत सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार) , निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग- 2 के शासनादेश संख्या- 01/2023/ ए- 2-60/ दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई , 2023 एवं शासनादेश संख्या- 02/2023/ ए- 2-66/ दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई , 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(31) प्रायोजनान्तर्गत वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2025/ए-1-31/दस-2025 10-31/4/2022, दिनांक 10 मार्च, 2025 का अनुपालन पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(32) प्रायोजनान्तर्गत बॉट आउट आइटम्स पर पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2764/41-1-2024/CN-1864107/2024, दिनांक 07 नवम्बर, 2024द्वारा गठित क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(33) प्रायोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रायोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। प्रायोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित प्रायोजना प्रबन्धक/अपर प्रायोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उप निदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 6,50,00,000 (रूपये छ: करोड़ पचास लाख मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 लेखा शीर्षक 5452801041000 इको टूरिज्म का विकास, मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-408/दस-2024-25, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
9. निदेशक, पर्यटन,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, चित्रकूटधाम मण्डल, चित्रकूट।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।